डीजी परिपत्र संख्या- २३ /2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 05,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में कई बार निर्देश निर्गत किये गये हैं कि दस्तनदाजी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थानें में अभियोग तत्काल दर्ज किया जाये। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-68/2008-ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में स्पष्ट निर्देश भी पारित किये गये हैं। इसी क्रम में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-डीजी-10-वि0प्र0-रिट-517/2013 दिनांक-30-12-2013 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी प्रकार महिलाओं के विरूद्व अपराध घटित होने पर पुलिस कार्यवाही, गुमशुदा बच्चों की सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकृत करने, विवेचना में गुणात्मक सुधार करने हेतु कई विस्तृत परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

2. प्रायः देखने में आ रहा है कि अभियोगों के अल्पीकरण, विलम्ब से पंजीकरण, अपहृत महिलाओं के साथ अपनायी जाने वाली पुलिस प्रक्रिया, गुमशुदा बच्चों की सूचना में अनिवार्य रूप से अभियोग पंजीकृत, इत्यादि जैसे प्रकरणों में थाना स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने पर दोषी कर्मचारियों को क्षुद्र दण्ड या व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी से दण्डित कर प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

3. आप सहमत होगें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते आपका दायित्व है कि अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करायें और पुलिस की गलत संस्कृति में सुधार लायें। यदि गलत कार्यवाही करते वक्त दोषी कर्मचारी पर हम उचित कार्यवाही नहीं करेगें तो पुलिस की गलत संस्कृति में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं आयेगा। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करते रहें, परन्तु यह अपेक्षा करता हूँ कि सही प्रक्रिया व विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करें एवं कार्यशाला आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित करें। उन्हें स्पष्ट रूप से यह संकेत दें कि विधि का उल्लघंन क्षम्य नहीं होगा। इसके उपरान्त भी यदि अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी गलत कृत्य करते हैं, तब उन्हें इस आशय से दण्डित अवश्य किया जाये कि वह स्वयं को सुधारे और इस प्रकार के दण्ड से अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी सचेत हो जायें।

4. मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते अपने कुशल नेतृत्व में पुलिस संस्कृति में सुधार लायेगें। इस ओर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व उचित दण्डात्मक कार्यवाही करें। आपके द्वारा शिथिलता या लापरवाही करने पर मेरे द्वारा आपके सम्बन्ध में गम्भीर मत बनाया जायेगा।

भवदीय,

05/04/14

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-
1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।